न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

(1) अपील संख्या 93/2015

1. सन्तलाल
2. कुनीदेवी

} पुत्र पुत्री हरीराम उर्फ धीराराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3. कमला देवी पुत्री हरीराम उर्फ धीराराम जाति कुम्हार निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. पूर्णराम पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. मघाराम पुत्र जोधाराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर –मृतक

2/1 हंसराज
2/2 धर्मपाल
2/3 कृष्णलाल
2/4 मायादेवी
2/5 कौशल्या

} पुत्र/पुत्रिया मघाराम जाति कुम्हार निवासीगण मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

3. पारी उर्फ पार्वती पत्नी रामप्रताप पुत्री हरजी उर्फ हजारीराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. चिडिया पत्नी जगदीश पुत्री रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. हरफूल पुत्र रामेश्वर पुत्र हरजी उर्फ हजारीराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

6. मालाराम पुत्र हरजी उर्फ हजारीराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

7. कालूराम
8. सुभाष
9. ओमप्रकाश

पिसरान मालाराम पुत्र हरीराम उर्फ धीराराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

10. राजेश
11. महेश
12. ओमप्रकाश
13. सोहनलाल

पिसरान पन्नाराम पुत्र हरीराम उर्फ धीराराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

14. अनिल कुमार पुत्र श्रीराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

15. संतराम
16. प्रभुराम
17. रामकरण

पिसरान कानाराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

18. नरेन्द्र पुत्र भगवानाराम पुत्र निवासी मनीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

19. सुनील पुत्र भगवानाराम पुत्र निवासी मनीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

20. रामेश्वरलाल
21. धर्मपाल
22. कालूराम
23. नानूराम

पिसरान जगाराम जाति यादव निवासी मनीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

24. भागी
25. गंगादेवी
26. मोहरीदेवी

पुत्रियां हरजी उर्फ हजारीराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

27. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।

——रेस्पोडेन्टान

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(1) अपील संख्या 94/2015

1. सन्तलाल
2. कुनीदेवी

} पुत्र पुत्री हरीराम उर्फ धीराराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3. कमला देवी पुत्री हरीराम उर्फ धीराराम जाति कुम्हार निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. पूर्णराम पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. मघाराम पुत्र जोधाराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर –मृतक

2/1 हंसराज
2/2 धर्मपाल
2/3 कृष्णलाल
2/4 मायादेवी
2/5 कौशल्या

} पुत्र/पुत्रिया मघाराम जाति कुम्हार निवासीगण मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

3. पारी उर्फ पार्वती पत्नी रामप्रताप पुत्री हरजी उर्फ हजारीराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. चिडिया पत्नी जगदीश पुत्री रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. हरफूल पुत्र रामेश्वर पुत्र हरजी उर्फ हजारीराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. मालाराम पुत्र हरजी उर्फ हजारीराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

7. कालूराम
8. सुभाष
9. ओमप्रकाश

} पिसरान मालाराम पुत्र हरीराम उर्फ धीराराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

10. राजेश
11. महेश
12. ओमप्रकाश
13. सोहनलाल

पिसरान पन्नाराम पुत्र हरीराम उर्फ धीराराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

14. अनिल कुमार पुत्र श्रीराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

15. संतराम
16. प्रभुराम
17. रामकरण

पिसरान कानाराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

18. नरेन्द्र पुत्र भगवानाराम पुत्र निवासी मनीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

19. सुनील पुत्र भगवानाराम पुत्र निवासी मनीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

20. रामेश्वरलाल
21. धर्मपाल
22. कालूराम
23. नानूराम

पिसरान जगाराम जाति यादव निवासी मनीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

24. भागी
25. गंगादेवी
26. मोहरीदेवी

पुत्रियां हरजी उर्फ हजारीराम जाति कुम्हार निवासी मनीवाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

27. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।

——रेस्पोंडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, सादुलशहर
दिनांक 21.02.2014 एवं 16.07.14

उपस्थिति

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मनोहरलाल सहारण, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री रामगोपाल स्वामी अभिभाषक रेस्पों. सं. 2/1 से 2/5
श्री इकबाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः– 18.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष राज.काश्तकारी.अधि. की धारा 88, 53 का खंगाराम के परिवार की वंशावली दर्शातें हुए पेश कर कथन किया कि वादी के नाम से चक 36 पी.टी. के खाता सं. 60/54 में मुश्तर्का खाता में 0.949है0 , चक 32 एमजेडी ए के खाता सं. 74/72 के मुश्तर्का खाता में 1.345है0 व चक 32 एमजेडी बी में खाता सं. 97/97 में मुश्तर्का खाता में 0.664है0 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार तीनों खातों में 2.958है0 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 20 एवं 25 से 27 एक ही खानदान से है तथा आपस में बंटवारा हो चुका है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। खाता संयुक्त होने से सिंचाई आदि में कठिनाई रहती है। अतः निवेदन है कि वाद पत्र की मद सं. 4 में वर्णित भूमि का खातेदार घौषित किया जाकर खाता अलग करने का आदेश दिया जावे।

प्रतिवादी सं. 5 ने जबाब दावा व कांउटरक्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादी का दावा डिक्री किया जावे तो उसे कोई एतराज नहीं साथ ही उसका कांउटरक्लेम स्वीकार किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने दिनांक 21.02.2014 को वादी का वाद एवं प्रतिवादी सं. 5 का कांउटरक्लेम स्वीकार करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये। विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 16.07.2014 को अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील सं. 94/2015 एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्ध अपील सं. 93/2015 पेश की गई है।

चुंकि दोनों ही अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि एक ही होने से पक्षकारों द्वारा एक साथ बहस की गई। दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल किया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किये गये हैं वह विधिवत रूप से तामील नहीं हुए है एवं पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अधी. न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम नहीं की गई और न ही किसी प्रकार की साक्ष्य ली गई। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधि.की धारा 5 का प्रा. पत्र मय शपथ पेश किया है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट सं. 1 व 2 अधी. न्यायालय में पक्षकार नही थे। उनके द्वारा अपील पेश करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है। अपीलांट ने रेस्पों. सं. 1 से कोई अनुतोष नहीं चाहा है। कांउटरक्लेम तक जो निर्णय दिया है वह सही है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपीलें आदेश दिनांक क्रमशः 21.02.2014 व 16.07.14 के विरूद्ध दिनांक 26.08.15 व 28.05.15 को प्रस्तुत की है जिसके लिये मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तामीलशुदा नोटिसेज पर तामील कुनिन्दा ने जिनसे तामील करवायी है उनके अंगूठा निशान से आगे पत्नी, चाची, जेठ के रिश्तें अंकित किये हैं जबकि सीपीसी में परिवार के व्यस्यक का विकल्प है जो तामील किये जाने पर सदस्य का नाम व उसका उससे क्या सम्बन्ध है। ही विधिवत तामील माना जाना विधिक (legal) जो नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त दोनों ही अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2014 व 16.07.2014 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी व्यक्तिशः यह सुनिश्चित करें कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पक्षकारों को विधि अनुकूल सम्मन proper तामील हो एवं उन्हें सुनवाई का अवसर देकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकार अधी. न्यायालय में दिनांक 28.08.2017 को उपस्थित रहें।

निर्णय दिनांक 18.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर